16-2-23

नवीन पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वकालतनामा नदारद होने एवं प्रतिवादी क्र.6 TDA करौली को दावा वादी प्रेषित किये जाने से मo. 06 [illegible] आवेदन को शामिल पत्रावली कर बहस सुनी गयी। विपक्षीगण [illegible] को तलबाना जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नियमानुसार पेश बाद तलबीन प्रतिवादीगण [illegible] हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

पीठासीन अधिकारीः– श्री दीपांशु सांगवान आर.ए.एस.

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी करौली

तारीख रजुः– 25.01.2023

मिसल नं0ः– 7/23

उनवान

1. गीता पुत्री स्व. मिश्रया पत्नी प्रेमचंद जाति तेली राढौर आयु 70 साल निवासी भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली हाल निवासी मकान नम्बर ई 2/14–15 सुल्तानपुरी नई दिल्ली
2. विमला पुत्री स्व. पत्नी जगदीश जाति तेली राढौर आयु 68 साल निवासी भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली हाल निवासी मकान नम्बर ई 2/14–15 सुल्तानपुरी नई दिल्ली
3. कमला पुत्री स्व. मिश्रया पत्नी बाबूलाल जाति तेली राढौर आयु 63 साल निवासी भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली हाल निवासी मकान नम्बर ई 2/14–15 सुल्तानपुरी नई दिल्ली
4. शीला पुत्री स्व. मिश्रया पत्नी मुरारी जाति तेली राढौर आयु 61 साल निवासी भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली हाल जैन कालानी उत्तम नगरी बेस्ट दुर्गा मंदिर नई दिल्ली
5. पप्पी उर्फ मिथलेश पुत्री स्व. मिश्रया पत्नी गोपाल जाति तेली राढौर आयु 53 साल निवासी भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली हाल निवासी मकान नम्बर ई 2/14–15 सुल्तानपुरी नई दिल्ली
6. सुनीता पुत्री स्व. मिश्रया पत्नी संतोष जाति तेली राढौर आयु 51 साल निवासी भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली हाल निवासी जैन कालोनी उत्तम नगर बेस्ट दुर्गा मंदिर के पास दिल्ली नई दिल्ली

वादीगण

बनाम

1. कन्हैया पुत्र स्व. मिश्रया जाति तेली राढौर आयु 55 साल निवासी भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली
2. गीता पुत्री स्व. गोपाल जाति तेली राढौर आयु 43 साल निवासी भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली
3. राहुल पुत्र स्व. गोपाल जाति तेली राढौर आयु 23 साल निवासी भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली
4. संध्या पुत्री स्व. गोपाल जाति तेली राढौर आयु 19 साल निवासी भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

5. तुषार पुत्र स्व. गोपाल आयु 17 साल 6 माह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता गीता पत्नी स्व. गोपाल जाति तेली राढ़ौर आयु 43 साल निवासी मूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली हाल निवासी

6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली

प्रतिवादीगण

बाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

बाबत घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरस्ती

निर्णय **दिनांक**

सूक्ष्म में दावा वादी इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1ता 5 एक ही पूर्वज के वंशज हैं आराजी ख0नं0 8271 रकवा 2 वीघा किस्म बारानी ए स्थित कस्बा करौली वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की पैतृक आराजी है जो आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 को अपने पूर्वज मिश्रया पुत्र लोहरे से विरासत मे प्राप्त हुई है। जिस आराजी मे मुताविक सजरा एवं मुताविक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रत्येक वादीगण का एवं प्रतिवादी सं 1 एवं समूल प्रतिवादी सं 2 ता 5 का बराबर बराबर हिस्सा है और वादीगण उक्त आराजी पर प्रतिवादी सं 1 ता 5 के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त चली आ रही है। वादीगण के पिता मिश्रया की मृत्यु दिनांक 30.11.1983 को हो गई जिनकी मृत्यु के उपरान्त वर्ष 1990 में उक्त आराजी ख0नं0 8271 की बिरासत का नामान्तकरण प्रतिवादी सं 6 व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों ने प्रतिवादी सं 1 व प्रतिवादी सं 2 ता 5 के पति/पिता गोपाल से साज कर गलत एवं विधि विरूद्ध तरीके से प्रतिवादी सं 1 कन्हैया व प्रतिवादी सं 2 ता 5 के पति/पिता गोपाल व वादीगण की माता कस्तूरी के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया और वादीगण को खातेदारी अधिकारों से वंचित कर दिया जिसकी जानकारी वादीगण को नही हो सकी क्योंकि वादीगण महिलाजात एवं बिना पढ़ी लिखी है, और अपने ससुरालों में दिल्ली रहती है। उक्त नामान्तकरण विधि विरूद्ध एवं अवैध है जिसे वादीगण अवैध घोषित कराके निरस्त कराने के अधिकारी है। वादीगण की माता किस्तुरी एवं भाई गोपाल की मृत्यु होने पर विवादित आराजी ख0नं0 8271 में उनकी बिरासत के नामान्तकरण हेतु आवेदन प्रतिवादी सं 6 को किया गया जिस पर बाद जांच उक्त आराजी की खातेदारी का नामान्तरकण बिरासत के आधार पर गोपाल के स्थान पर उसके वारिस प्रतिवादी सं 2 ता 5 के नाम तथा माता किस्तूरी के स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 5 के नाम दिनांक 12.01.2023 को खोला गया है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण मृतक मिश्रया की प्राकृतिक पुत्रीया है और अपने भाई एवं माता के साथ मृतक मिश्रया की आराजी में बराबर की हिस्सेदार व उत्तराधिकारी है और उसी अनुसार स्वयं के नाम खोतदारी की घोषणा कराने की अधिकारी है। मुताबिक सजरा पिता मिश्रया एवं माता किस्तूरी की मृत्यु के बाद वादीगण प्रत्येक का विवादित आराजी ख0नं0 8271 स्थित कस्बा करौली में 1/8, 1/8 व प्रतिवादी सं0 1 का 1/8 एवं प्रतिवादी सं 2 ता 5 का 1/8 हिस्सा है और इसी अनुसार वादीगण स्वयं को उक्त आराजी की खातेदार काश्तकार घोषित कराने एवं राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

पत्रावली पर नियमानुसार तनकीयात कायम की गई:

1. आया वादग्रस्त आराजी ख0नं0 8271 रकवा 2 बीघा करबा करौली वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की पैतृक है। वादीगण अपना 6/8 हिस्सा के प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 को 2/8 हिस्से की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी हैं।
2. अनुतोष

चूंकि वादपत्र में प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया जाकर दावा वादी डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है एवं प्रतिवादी सं0 6 तहसीलदार करौली ने दावावादी डिक्री किये जाने में no objection किया है, इसलिए प्रकरण का तकनीवार विवेचन किया जाना व साक्ष्य लेखवध किया जाना आवश्यक प्रतीत नही होता है। अतः दावा वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है:-

आराजी ख0नं0 8271 रकवा 2 बीघा स्थित कस्बा करौली के नामान्तकरण सं0 951 दिनांक 02.05.1990 को अवैध घोषित किया जाता है। आराजी ख0नं0 8271 रकवा 2 बीघा स्थित कस्बा करौली में प्रत्येक वादीया को हिस्सा 1/8, 1/8 का तथा प्रतिवादी सं 1 को हिस्सा 1/8 का एवं प्रतिवादी सं 2 ता 5 को हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्ताकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज दर्ज करने हेतु लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली को आदेशित किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दीपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

नोट - प्रतिवादी सं.2 गीता पत्नी स्व. गोपाल के स्थान पर गीता पुत्री स्व. गोपाल शुद्ध किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)